

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 393 J.R. / 2020-21 सन्
16-17

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
------------------------	--------------------------------	----------------------------------

20/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती हरिलाल लोहरा पिता/पति जगमोहन लोहरा
मौजा उपरवा/ल/ल/ग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 45/187 / 70-71 के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुपस्थित के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>उपरवा/ल/ल/ग</u>	<u>283</u>	<u>192</u>	<u>392</u>	<u>2.00 (000)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 06/08/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
अड़की।

06/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती हरिलाल लोह्य
..... पिता/पति जगमोहन लोह्य मौजा- अपरखाली थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- अपरखाली थाना नं० 283 खाता सं० 192
प्लॉट सं० 392 रकबा- 2.00 एकड़ लगान 4.00 रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- अपरखाली
..... थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।